राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1766/2013/अलवर

मैसर्स रविन्द्र अलोयस जरिये श्रीमती जसलीन बावा पत्नी गुरदीपसिंह बावा
निवासी एस–209, उपल साउथ, सोहना रोड, गुडगांव
जरिये अधिकार पत्र मैनेजर श्री आर.पी.जैन .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक अलवर
2. मैसर्स पिरामिड अब्रेसिव्स प्रा.लि. जरिये संजय खन्ना
निवासी एच–4/6, डीएलएफ, फेस- 1, गुडगांव (हरियाणा) ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री गौरव दवे
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.खदाव
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अलवर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 15.07.2013 प्रकरण संख्या 132/2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी औद्योगिक इकाई को 28.01.2009 का औद्योगिक क्षेत्र भिवाडी में 1000 वर्गगज का भूखण्ड राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 व 2010 के तहत औद्योगिक इकाई स्थापना के लिए एवं इस पर निवेश करने के लिए मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। प्रकरण में महालेखाकार द्वारा यह ऑडिट आक्षेप लिया गया कि इकाई द्वारा छूट प्राप्त की गई सम्पत्ति को बिना निवेश विक्रय किया गया है जिससे ऐसी सम्पत्ति के बेचान पर छूट की राशि मय ब्याज वसूल की जानी चाहिए। कलक्टर ने प्रस्तुत रेफरेन्स में एकपक्षीय निर्णय दिनांक 15.07.2013 पारित करते हुए पूर्व दस्तावेज सं 270 दिनांक 08.01.09 में 19,742/– प्राप्त छूट की राशि तथा 47 माह का 18 प्रतिशत ब्याज 1,39,167/– शास्ति 20,195/– कुल 3,56,782/– वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामील अनुपस्थित रहे।

लगातार.....2

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि उन्हे विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के बाद निर्माण सहित हस्तान्तरित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी औद्योगिक इकाई को 28.01.2009 का औद्योगिक क्षेत्र भिवाडी में 1000 वर्गगज का भूखण्ड राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 व 2010 के तहत औद्योगिक इकाई स्थापना के लिए एवं इस पर निवेश करने के लिए मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। प्रकरण में महालेखाकार द्वारा यह ऑडिट आक्षेप लिया गया कि इकाई द्वारा छूट प्राप्त की गई सम्पत्ति को बिना निवेश विक्रय किया गया है जिससे ऐसी सम्पत्ति के बेचान पर छूट की राशि मय ब्याज वसूल की जानी चाहिए। कलक्टर ने प्रस्तुत रेफरेन्स में एकपक्षीय निर्णय दिनांक 15.07.2013 पारित करते हुए पूर्व दस्तावेज सं 270 दिनांक 08.01.09 में 19,742/– प्राप्त छूट की राशि तथा 47 माह का 18 प्रतिशत ब्याज 1,39,167/– शारित 20,195/– कुल 3,56,782/– वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेजा है व बाद में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय मे रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2006 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की है। निगरानीधीन निर्णय में रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार करने के संबंध में कोई विवेचना, विश्लेषण एवं निष्कर्ष नहीं दिया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। उपरोक्त दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है ताकि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान हो सके व रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में आवश्यक जांच होकर विधिसम्मत निर्णय पारित हो सके।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश है कि वे अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य